कार्यालय निबन्धक सहयोग समितियां, झारखंड, रांची

पत्रांक 1294 रांची, दिनांक 11 अगस्त 2001।

प्रेषक,

श्रीमती राजबाला वर्मा,
निबन्धक,
सहयोग समितियां,
झारखंड, रांची।

सेवा में,

सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां, झारखंड
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखंड,
सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियां, झारखंड।

विषय: झारखंड स्वावलम्बी अधिनियम 1996 के तहत् निबंधन चेक स्लीप प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग: कार्यालय पत्रांक 668 दिनांक 12.7.2001

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निर्गत पत्र में अंकित आंशिक संशोधन एवं परिवर्तन किया जाता है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1. समितियों के सदस्यों को सदस्यता शुल्क 50/- (पचास) रुपये से घटाकर 10 (दस) रुपये किया जाता है तथा न्यूनतम एक शेयर का मूल्य प्रत्येक सदस्य 100.00 (एक सौ) रुपये निर्धारित किया जाता है।

गृह निर्माण समितियों के लिए पूर्व में निर्गत पत्र के अनुरूप सदस्यता शुल्क एवं शेयर का मूल्य क्रमशः 50.00 (पचास) रुपये एवं 500.00 (पांच सौ) रुपये लागू रहेगा।

3. ग्राम स्तरीय समिति के सदस्यों की संख्या 10 एवं नगर निगम/नगरपालिका एवं अधिसूचित क्षेत्र के कार्यक्षेत्र के लिए सदस्यों की संख्या 50 न्यूनतम निर्धारित की जाती है। पूर्व में निर्गत पत्र में पंचायत स्तर तक ही सदस्यों की संख्या अंकित थी। अतः पंचायत स्तर से नीचे [illegible] क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या इस पत्र से अंकित संख्या के अनुसार होगी।

विश्वासभाजन,

निबन्धक,
सहयोग समितियां, झारखंड, रांची।

कार्यालय, सम्युक्त निबंधक, स० स० रांची प्रमंडल
पत्रांक 776 दिनांक 22.10.2001